बा. आवेदन नि. 04/18 नगाराम v/s हुकमाराम वगैरा.

05.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान--न्याय आपके द्वार में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प. आडेल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस प्राप्त हुई। प्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 6,9,14,15 के वकील अनुपस्थित। शेष विप्रार्थीगण एकतरफा। वकील विप्रार्थी को जबाव पेश किये जाने के पर्याप्त अवसर दिये गये थे। लेकिन जबाव पेश नहीं किये जाने के कारण जबाव बन्द किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि ग्राम सुथारों की बेरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 12 रकबा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 13 रकबा 98 बीधा भूमि आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का अपने 1/6 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आगे कथन किया कि मुतवफी साजन के 6 पुत्र कनशाखेमा,नारणा,तुलसा,केहना,चूना व देदा थे। प्रार्थीगण नारणा के वारिस है। इस प्रकार प्रार्थीगण के दादा साजन के फोत होने पर विरासत के नामान्तकरण में 6 पुत्रों का नाम दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन शेष 5 भाईयों ने प्रार्थीगण के पिता नारणा को गुमराह करते हुए विवादित भूमि में अपने नाम दायर करावा दिये। और प्रार्थीगण के पिता नारणा को उसके हक हकूको से वंचित रखा गया। लेकिन साजन का नारणा भी पुत्र है। और उसके वारिसान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त में दखलदान्जी विप्रार्थीगण कर रहे है,और विवादित भूमि का हिस्से से अधिक का बेचान विप्रार्थी द्वारा किया गया है और आगे ओर बेचान करने पर उतारू है। यदि इसमें सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

होगी। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावें कि वे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

इसमें वकील प्रार्थीगण की बहस कर मनन किया गया। और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया,जिसमें पाया कि मिसल बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 मूलग्राम आडेल की खसरा संख्या 12 व 13 साजन वल्द भेरा कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हुई थी। वर्तमान राजस्व ग्राम सुथारों की बेरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 12 रकबा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 13 रकबा 98 बीघा भूमि विप्रार्थी को खातेदारी में दर्ज है। जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2071--2074 के अवलोकन से स्पष्ट है। और रिकार्डई खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि ऐसा किये जाने से उसके हितो के साथ कुठराघात होगा। प्रार्थीगण द्वारा इतने लम्बे समय तक चुपचाप बैठने के क्या कारण रहें,इस संबध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। एवं प्रार्थी वकील ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है,कि विवादित भूमि को विप्रार्थी बेचान/खुर्द बुर्द कर रहे है। केवलमात्र मौखिक कथन से अदालत विश्वास नहीं कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करवाने के हकदार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्यता मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner